## jhansi Banda Balitpur tata Jalaan Orai graeth undelkhande tataan STARTIUP

# Startup Bundelkhand (Jhansi Technology Startup Meetup) (Jhansi Linux Meetup)

Emails: startup@siddhast.com

Phone- 7376314900

#### संरक्षक

सेठ परशुराम अग्रवाल Valuer श्री राकेश अग्रवाल (Mentor, StartUpIndia)

#### संयोजक

श्री देवेश अग्रवाल अधिवक्ता) श्री रोशन अग्रवाल (इंजीनियर )

#### सदस्य

समर जीत विकास सिंह अंशुल गुप्ता धीरज यादव अमित शर्मा राह्ल मिश्रा

### ज्ञापन

श्री रामतीर्थ सिंघल जी ,
महापौर
नगर निगम
झाँसी

विषय - झाँसी स्मार्ट सिटी परियोजना में MSME कानून एवं GFR २०१७ के अंतर्गत स्टार्टअप व् msme द्वारा टेंडर में छूट का प्रावधान का न होना

#### महोदय

सेवा में

आपका ध्यान, झाँसी नगर निगम द्वारा निकाली गयी निविदा संख्या 2019\_DOLBU\_353329\_1 पर आकर्षित करना चाहूँगा जिसके अनुसार यह निविदा सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ही है

जहाँ एक ओर केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु उद्योग एवं स्टार्टअप को बढ़ावां देने की बात कर रही है एबं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2019 के अभिभाषण में कहा गया कि "हम तय करें अपने जीवन में मेरे देश में जो बनता है, मिलता है, वो मेरी प्राथमिकता होगी और हमें तो local product पर बल देना है। जो गांव में बनता है पहले उसके लिये प्राथमिकता होनी चाहिये। वहां नहीं तो तहसील में, तहसील से बाहर जाना पड़े तो, जिले में, जिले के बाहर जाना पड़े तो, राज्य में और मैं नहीं मानता हूं कि उसके बाद अपनी आवश्यकताओं के लिये कहीं जाना पड़ेगा। कितना बड़ा बल मिलेगा? हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बल मिलेगा?, लघु उद्यमियों को कितना बल मिलेगा?, हमारी परंपरागत चीजों को कितना बल मिलेगा?"

लेकिन वही झाँसी नगर निगम के झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा हाल में निकाले गए तक़रीबन 142 करोड़ रुपया मूल्य का सूचना प्रौद्योगिकी का टेंडर इस तरीके से निकला गया जिससे उसमे झाँसी का कोई भी स्टार्टअप एवं लघु उद्योग भाग नहीं ले सकते, आपसे अनुरोध है कि इस टेंडर एवं इस तरह के अन्य टेंडर को छोटे छोटे भागों में बाट कर निविदायें मांगी जाए जिससे की क्षेत्र के सूचना प्रौद्योगिकी के सूक्ष्म लघु उद्योग एवं स्टार्टअप्स को विकास का मौका मिल सके एवं झाँसी में स्टार्टअप हब व् सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास हो सके

धन्यवाद

रोशन अग्रवाल

संयोजक व संरक्षक झाँसी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप मीटअप ग्रुप 907 चंद्र विहार कॉलोनी झाँसी 7376314900

**व्यवस्थापक** सुजनात्मक संगठन भारत

कंपनी संरक्षक सिद्धस्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड

Scanned by CamScanner



स्मार्ट सिटी का काम क्षेत्रीय लोगों को दिया जाये महापौर को दिया ज्ञापन î II ì ग देने की बात कर रही है। जो गाँव में बनता है पहले झाँसी जयूसं। स्टार्टअप बुन्देलखण्ड ग्रुप न उठाई सूचना प्रोद्योगिकी की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उसके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन वहीं की माँगों को एवं झाँसी स्मार्ट सिटी परियोजना की नगर निगम के झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा हाल ही में निकाले गए करोड़ों के टेंडर में झाँसी का कोई निविदाओं में एमएसएमई कानून एवं जीएफआर के अर्न्तगत छूट देने को लेकर आज झाँसी टैक्नोलॉजी भी स्टार्टअप एवं लघु उद्योग भाग नहीं ले सकते हैं। स्टार्टउप मीटअप ग्रुप से संयोजक संरक्षक रोशन स्टार्टअप बुन्देलखण्ड ग्रूप माँग करता है कि झाँसी स्मार्ट सिटी द्वारा जो निविदाएं माँगी गई है वह अग्रवाल ने महापौर को ज्ञापन दिया। जिसमें वताया छोटे-छोटे भागों में बॉटकर निविदाएं दी जायें कि झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिडेट द्वारा निकाली गई निविदाएं के नियम और शर्ते में कार्य कर रहे सूक्ष्म, जिससे क्षेत्रवासियों को मौका मिल सके। इस लघु एवं मध्यम व स्टार्टअप के सूचना प्रौद्योगिकी अवसर पर' सह संयोजक अधिवक्ता हरिराम उद्योग को भाग लेने से रोकते हैं। एक ओर केन्द्र अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल आदि ज्ञापन देते समय सरकार सूक्ष्म, लघु उद्योग एवं स्टार्टअप को बढाबवा उपस्थित रहे।

व नी रू की

मिं

ज्य

के

**त**ः

वं

नी


**ती** 

ता

ले

ती

Scanned by CamScanner





### 30-08-2019

स्टार्ट अप, लघु उद्योग नहीं ले सकेंगे स्मार्ट सिटि

के कामों में भाग झाँसी : टेक्नॉलजि स्टार्ट अप मीट अप ग्रुप ने संयोजक व संरक्षक रोशन अग्रवाल के नेतृत्व में महापौर को ज्ञापन दिया। इसमें बताया कि गया स्मार्ट सिटि लिमिटेड द्वारा निकाली गयी निविदाओं में ऐसे नियम और शर्तें लगी दी हैं, जिनको झाँसी में कार्य कर रहे सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम व स्टार्ट अप के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे वे विकास कार्यों में भागीदार नहीं बन पाएंगे। उन्होंने एक साथ किसी भी काम की निविदा निकालने की जगह अलग-अलग काम की निविदा निकालने की बात कही। इस दौरान संरक्षक राकेश अग्रवाल, सह–संयोजक अधिवक्ता देवेश, हरिराम अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, मोहित अग्रवाल आदि मौजूद रहे।